

प्रेस नोट दिनांक-07.03.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में टॉप-10, हिस्ट्रीसीटर, गैंगेस्टर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के मार्गदर्शन में थाना मानिकपुर पुलिस ने गौरी गैंग के सदस्य रहे अपराधी सत्यानारायण कोल को एक अदद देशी एसबीबीएल गन व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 02 किलो सूखा गांजे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

उ0नि0 श्री फिरोज खान तथा उनके हमराही द्वारा दिनांक 06.03.2021 को शाम लगभग 16.15 बजे मुखविर की सूचना पर कल्याणपुर के पास से अभियुक्त सत्यनारायण कोल पुत्र शिवमोहन कोल निवासी नागर थाना मानिकपुर चित्रकूट को एक अदद देशी एसबीबीएल गन व 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 किलो सूखा गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 26/21 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट तथा गांजा बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 27/21 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। यह अपराधी सातिर किस्म का अपराधी है तथा गौरी गैंग का सदस्य रहा है, इसके विरुद्ध पुलिस मुठभेड़, अवैध शस्त्र बरामदगी जैसे लगभग एक दर्जन के करीब मुकदमें पंजीकृत हैं।

बरामदगी:-

1. एक अदद एसबीबीएल गन व
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस
3. 02 किलो सूखा गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री फिरोज खान थाना मानिकपुर
2. आरक्षी रानू रजक

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशील चंद्र शर्मा तथा उनकी टीम द्वारा एसटी न0 194/17 धारा 323/504/506 आईपीसी व 3(2) 5क व 3 (1)10 एससी/ एसटी एक्ट के वारंटी अभियुक्त 1. चुनकू पुत्र बट्टी उर्फ जालंधर 2. धर्मेन्द्र पुत्र चिंकू 3. जितेंद्र पुत्र चिनकू निवासीगण बसिला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशील चंद्र शर्मा
2. वरि0उ0नि0 श्री शिव कुमार यादव
3. उ0नि0 श्री हरेंद्र नाथ सिंह
4. आरक्षी बलराम

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शेरसिंह पाल तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त विजय कुमार पुत्र शारदा प्रभारी निवासी टेढ़ी पुरवा थाना बहिलपुरवा को 15 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शेरसिंह पाल थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी अभिषेक यादव

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 07.03.2021 को प्रभारी निरीक्षक महिला थाना अनुपम श्रीवास्तव एवं महिला थाना एंटी रोमियो टीम द्वारा रुक्मिणी सेवा संस्थान में महिला दिवस के अंतर्गत आयोजित किये गए कार्यक्रम मे, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम मसनहा का पुरवा में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम हड़हा, गुइयां कला, गुइयांखुर्द में, एंटी रोमियो टीम राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर एवं ग्राम माधवगंज में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम कौबरा, अगरहुड़ा एवं इटवां में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। एंटी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एंटी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।